फॉर्म नं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्रीय सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक)
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के संबंध में।

और

अंशी टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आरजेड–16–ए/15,जी/एफ, ख. नं. 392, 394, 397, गली नं. 2, मेन सागरपुर, नई दिल्ली, 110046, भारत में स्थित है, के मामले में

.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 02 जनवरी, 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति **MCA–21** पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी–2 विंग, 2 रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

अंशी टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड आरजेड–16–ए/15,जी/एफ, ख. नं. 392, 394, 397, गली नं. 2, मेन सागरपुर, नई दिल्ली, 110046, भारत

अंशी टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
की ओर से और उनके लिए
हस्ता./–
बलबीर सिंह
निदेशक
डीआईएन: 01066875

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16.01.2026

फॉर्म नं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्रीय सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक)
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के संबंध में।

और

एसजेवाईजे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी–502, कामरून कोर्ट्स, सी ब्लॉक, फेज 1, सुशांत लोक 1, सेक्टर 43, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में स्थित है, के मामले में

.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 01 सितंबर, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति **MCA–21** पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी–2 विंग, 2 रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

एसजेवाईजे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सी–502, कामरून कोर्ट्स, सी ब्लॉक, फेज 1, सुशांत लोक 1, सेक्टर 43, गुड़गांव, हरि. 122003

एसजेवाईजे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
की ओर से और उनके लिए
हस्ता./–
रोहित बत्रा
निदेशक
डीआईएन: 02016510

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 16.01.2026

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली निविदा

राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से मण्डल इंजीनियर/यांत्रिक कारखाना वास्ते मुख्य कारखाना प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिये आनलाईन (ई–टेण्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं. 01, ई–निविदा सूचना सं० एवं निविदा कार्य का विवरण : DEN-MWS-2026-01- प्रापोज्ड न्यू हाईड्रेन्ट पॉइंट इन मैकेनिकल वर्क शॉप गोरखपुर। (एज पर ड्राइंग नं. G/LT-1117), अनुमानित लागत: रू० – 73,76,978.60, धरोहर राशि : रू० 1,47,500.00, निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय 14.02.2026, 11.00 बजे।

इस ई–निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट संख्या **www.ireps.gov.in** पर देखें।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/
यां०कार०/गोरखपुर
मुजाधि/यांत्रिक – 123

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्ररूप संख्या आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय,
नई दिल्ली के समक्ष।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी निगमन नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,

और

सैप सेल प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय **प्लॉट संख्या 39, फ्लैट नंबर 38, सीजीएचएस आशीषवोंग अपार्टमेंट, दिल्ली, भारत–110092** में स्थित है के मामले में,

.....आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **सोमवार, 12 जनवरी, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत केंद्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पते **बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003** पर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से **14 (चौदह) दिनों** के भीतर भेज सकता है और उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को नीचे दिए गए उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

पंजीकृत कार्यालय पता: प्लॉट संख्या 39, फ्लैट नंबर 38, सीजीएचएस आशीषवोंग अपार्टमेंट, दिल्ली, भारत–110092

आवेदक के लिए और उनकी ओर से
एसएपी सेल प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड
(सतीश चंद गोयल)
निदेशक
डीआईएन: 01124352

दिनांक: 15.01.2026
स्थान : दिल्ली

IndusInd Bank

क्षेत्रीय कार्यालय: **IndusInd Bank Ltd., No. 34, G.N. Chetty Road, Chennai-600017, www.indusind.com**
Ph: 0442834600 28346301 Fax: 04428346312

अचल सम्पत्तियों के ई–निलामी हेतु निलामी नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) /9(1) के परन्तुक के साथ पठित, **वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002** के अधीन अचल सम्पत्तियों के **ई–निलामी** (E-Auction) **हेतु निलामी नोटिस:**

आम लोगों को और विषेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पतियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ;जैसी है,जहॉ है, जो है जैसी है और जो कुछ भी है वहां हैद्ध के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गांरन्टरों और बंन्धककर्ताओं को प्रत्याभूत– दाता इण्डसंइड बैंक लि0 सें – प्रतिभूत लेनदार की नीचें वर्णित रूपये की बकाया राषि की वसूली हेतु दिनांक **18/02/2026** को निलाम किया जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम राषि निम्न वर्णितानुार होगी।

अचल सम्पति का विवरण

कब्जा का विवरण	ऋणधारक व सहऋणी का विवरण	प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख व राशि, पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 13(2)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि
बैक का भौतिक कब्जा हैं। दिनांक 28/11/2025 से	उधारकर्ता- [illegible] C/o [illegible] सह-उधारकर्ता – [illegible] सह-उधारकर्ता – [illegible] **Loan A/C No.-** RJK05147M	संपत्ति :- सर्वे नम्बर 021/00147, वार्ड नम्बर 36, कन्या होस्टल के पास, कोटडी कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा, कोटा, राजस्थान, क्षेत्र–109.94 वर्ग गज का क्षेत्रफल में स्थापित (जैसी है जहॉ है,जो है जैसी है और कुछ भी है वहां है) के आधार पर	दिनाक:–26/09/2022 को **राशि** रु. 29,99,635.61/- (उन्नतीस लाख नीनयान्वे हजार छ सो पैंतीस और इक्सठ रूपये मात्र + [illegible]	आरक्षित मूल्य ₹ 28,72,082/- धरोहर राषि ₹ 2,87,208/-

नियम एवं शर्तें:-- (1) बोली दस्तावेज़, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.indusind.com या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। (2) निविदा दस्तावेज जमा करने के साथ-साथ बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10% राशि भी जमा करनी होगी। उस बैंक ने आरक्षित मूल्य और उल्लिखित बयाना राशि जमा (ईएमडी) तय कर दी है, इसे केवल आईएमपीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी [illegible] (D.D.) के माध्यम से "होमज़ ईएमआई पूलिंग ए.सी. (सीएफडी)" खाता संख्या 00073564611059, आईएफएससी: [illegible]एनडीबी0000007 के पक्ष में **17/02/2026**, - दोपहर 4 बजे तक जमा किया जाएगा। , और शाखा का पता: नंबर 3, विलेज रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई-600034। (3) सफल बोली लगाने वालों को बिक्री मूल्य का 25% भुगतान और जमा करना होगा (बोली के साथ पहले से भुगतान की गई 10% राशि कम) यानी खरीदार को ई-नीलामी की तारीख पर बिक्री की पुष्टि पर शेष 15% का भुगतान करना होगा। या अगले कार्य दिवस की समाप्ति से बाद में नहीं। इसके बाद बिक्री मूल्य की 75% की शेष राशि बिक्री पुष्टिकरण पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है, जैसा कि सरफेसी अधिनियम के अनुसार माना गया है। (4) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रक्रिया को स्थगित/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। (5) इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, 122003 हरियाणा। सहायता नंबर: 7291981124,25,26, और संपर्क श्री मिथलेश- 7080804466 सहायता ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com से किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं। और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए बैंक अधिकारी Lokesh Kumar- 9672444456 से संपर्क कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडसइंड बैंक लिमिटेड

दिनांक: **15-01-2026**
स्थान :– **Jaipur**

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011 -23357171 , 23357172, 23705414, वेबसाइट : **www.pnbhousing.com**

शाखा कार्यालय: तीसरी मंजिल, नगर निगम संख्या- 4, जोडाएक सेंट्रल, गांधी रोड, नरदेव शास्त्री मार्ग, देहरादून, उत्तराखंड

अब तक संशोधित के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. (इसके पश्चात ''पीएनबीएचएफएल'' कहा जायेगा) ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) (इसके पश्चात ''अधिनियम'' कहा जायेगा) के तहत अपने देहरादून कार्यालय: तीसरी मंजिल, नगर निगम संख्या- 4, जोडाएक सेंट्रल, गांधी रोड, नरदेव शास्त्री मार्ग, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा माँग सूचना निर्गत की थी। कथित माँग सूचना आप सभी निम्नलिखित कजदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों को हमारे अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत की गयी थी जो कि किश्तों/ब्याजों के भुगतान न किये जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते को नॉन-परफॉर्मिंग आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। इसकी विषय-सामग्री मूलधन, ब्याज आदि की किश्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गयी चूक से सम्बन्धित है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणवश हमें विश्वास है कि आप माँग सूचना की सेवाओं की अनदेखी कर रहे हैं अतः माँग सूचना का यह प्रकाशन कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भी अपेक्षित है। एतद्वारा आपको अद्यतन ब्याज तथा प्रभारों सहित उपर्युक्त राशि इस माँग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर पीएनबीएचएफएल कर्जदारों तथा जमानतियों की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा करने सहित समस्त अथवा किसी एक या अधिक प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम की धारा 13(4) के समस्त या किन्हीं प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगा।

आपका ध्यान प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत आप सार्वजनिक या निजी सन्धि से कोटेशन, निविदा आमन्त्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु केवल इस सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा व्यय किये गये समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकाया राशि अदा/भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि पीएनबीएचएफएल द्वारा व्यय किये गये समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकाया राशि सार्वजनिक या निजी सन्धि से कोटेशन, निविदा आमन्त्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री द्वारा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व अदा नहीं की गयी तो इसके पश्चात आप प्रतिभूत आस्ति(यों) के विमोचन के अधिकारी नहीं होंगे।

पुनः आपको उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के बिक्री, पट्टे या किसी अन्य विधि से हस्तान्तरित करने के लिए कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत निषिद्ध किया जाता है।

ऋण खाता सं.	कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नाम एवं पता	जमानती का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई संपत्ति	माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि
HOU/DEH/1017/440794 शा.का.: देहरादून	स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह और अरुणा देवी के सभी विधिक उत्तराधिकारी, शिखर एन्क्लेव, टिहरी विशथैत, नवोदय नगर, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत, 249403 गाँव धरमू, पौटा, पोस्ट पावती, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत, 246726 मेडिमार्क ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एमएसईसी 6ए, प्लॉट नंबर 39, सिडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड, 249403, प्लॉट नंबर 21 ए, खसरा नंबर 312मी, टिहरी विष्टपित क्षेत्र, रोशना बाद, ग्राम में स्थित, सलेमपुर महदूद 1, परगना रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड 249401	अप्रयोज्य	प्लॉट संख्या 21 ए, खसरा संख्या 312 मी, तिहरी में स्थित, विष्टपित क्षेत्र रोशना बाद, ग्राम सलेमपुर महदूद 1, परगना रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड 249401	10 अक्टूबर, 2025	रु. 7,93,727.16 (रुपये सात लाख तिरानवे हजार सात सौ सत्ताईस तथा सोलह पैसे मात्र)
NHL/DEH/1017/444015 शा.का.: देहरादून	स्वर्गीय श्री राम सिंह और सोमती सिंह के सभी विधिक उत्तराधिकारी टावर गली, केदारपुर, मोथरोवाला, देहरादून, उत्तराखंड, भारत, 243001, 98/4 धामावाला मोहल्ला, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखंड, भारत, 248001, लेन नंबर 5 शिवपुरी कॉलोनी टावर वाली गली, बंजारावाला माफी फ्लाईफॉट स्कूल के पीछे देहरादून उत्तराखंड 248001	अप्रयोज्य	खाता संख्या 229 (फसली वर्ष 1416–1421), खसरा संख्या 44 स्थित भूमि की समस्त संपत्ति, क्षेत्रफल 123.40 वर्ग मीटर, मौजा परवादून देहरादून, उत्तराखंड, 248001 सीमाएँ: पूर्व– श्री हरभजन सिंह और अन्य की भूमि; पश्चिम– 15 फुट चौड़ी सड़क; उत्तर– श्री हरभजन सिंह और अन्य की भूमि; दक्षिण– श्री हरभजन सिंह और अन्य की भूमि	06 जनवरी, 2026	रु. 5,30,744.28 (रुपये पांच लाख तीस हजार सात सौ चौवालीस तथा अट्ठाइस पैसे मात्र)

स्थान : देहरादून तिथि : 15.01.2026

हस्ता./– अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टावर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031.
फोन : +91–44 4564 4000. फैक्स : +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कर्जदार को उसके द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से स्वर्ण आभूषणों के ऐवज में प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधा के संबंध में बकाया राशि के भुगतान के लिए सूचनाएं जारी की गई थीं। चूंकि कर्जदार सुविधा के तहत बकाया राशि चुकाने में असफल रहा है। हम बंधक रखे स्वर्ण आभूषणों की नीलामी 28–01–2026 को संचालित करने हेतु विवश हैं। इस नीलामी से अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की दशा में, अतिरिक्त राशि संबंधित कर्जदार को लौटा दी जाएगी और यदि नीलामी से पूरी बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाती है, तो कर्जदार से उसकी वसूली उपयुक्त कानूनी कार्यवाही के माध्यम से की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को बिना पूर्व सूचना दिए निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का बिना पूर्व सूचना दिए नीलामी की तिथि परिवर्तित करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
164438881	पूनम रानी	नोएडा सेक्टर अठारह शाखा
168576691	रोहित कुमार	अलीगढ़ यूएल शाखा

नीलामी **https://idfcegold.auctiontiger.net** के माध्यम से 28–01–2026 को दोपहर 12.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक/ **http://gold.samil.in** के माध्यम से 28–01–2026 को अप. 3.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इस प्रकाशन द्वारा संबंधित कर्जदार को एतद्द्वारा निरस्त सुविधा की बकाया राशि का भुगतान सभी ब्याज और प्रभारों के साथ नियत नीलामी तिथि से पहले चुकाने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर स्वर्ण आभूषणों की नीलामी की जाएगी। कृपया नोट करें कि, यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पूरी नहीं हो पाती है तो बैंक बंधक स्वर्ण आभूषणों की नीलामी उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अगले 7 दिन के भीतर की जाएगी। यदि ग्राहक की मृत्यु हो चुकी है, तो उस पर लागू सभी शर्तें उसके वारिसों पर लागू होंगी।

तिथि : 16–01–2026 स्थान : दिल्ली/उत्तर प्रदेश

प्रपत्र नं. 14
विनियम –33(2) देखें,
वसूली अधिकारी कार्यालय–I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/336/2024 **30.10.2025**

बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मनोज ठाकुर

सेवा में

(सीडी 1) मनोज ठाकुर पुत्र सुशील ठाकुर
(सीडी 2) रीता ठाकुर पत्नी मनोज ठाकुर
दोनों निवासी– 86, मौलाना आजाद सोसाइटी, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034, **इसके अलावा:** डी–753, तीसरी मंजिल, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034, **इसके अलावा:** अयाची नगर, बेंटाचौक, लहेरिया सराय, दरभंगा, बिहार – 846003 **इसके अलावा:** टी–1/01105, पहली मंजिल, टुडे कैलिडोरा, सेक्टर–73, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा – 122001
(सीडी3) सुभाष चंद्र ठाकुर पुत्र चंदेश्वर ठाकुर
बी–4/164, पॉकेट–4, सेक्टर–8, रोहिणी, दिल्ली – 110085
(सीडी 4) मेसर्स टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड,
अपने निदेशकों/रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के माध्यम से, जिसका पंजीकृत पता है: स्टेट्समैन हाउस, आठवीं मंजिल, बाराखंबा रोड, दिल्ली – 110001।
इसके अलावा: टुडे कैलिडोरा, सेक्टर–73, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001

यह अधिसूचित किया जाता है कि **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)** द्वारा **OA/55/2023** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **रुपये–42,55,206.90** की राशि, लम्बित और दिनांक **21/11/2022** से वसूली तक **@10.90%** मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भावी ब्याज तथा **रुपये–38000 (रुपये केवल अड़तीस हजारे मात्र)** की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्णतः/सीमित रूप से) देय हो गई है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **20.01.2026 को 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 30.10.2025 को दिया गया।

हस्ता/–
रविंदर कुमार तोमर
वसूली अधिकारी–I,
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)

हेमराज (अधिवक्ता)

(नामांकन संख्या डी/2212/1999)

निवास: एच सं बी–6/298
नंद नगरी दिल्ली–110093
(एम)–9873034348

कार्यालय–कक्ष संख्या जी–602,
जी–ब्लॉक, कड़कड़डूमा जिला न्यायालय परिसर, दिल्ली
ईमेल– siddarthahemraj@gmail.com

रेफ. क्रमांक/एलसी–नीलामी सूचना/01/2026 **दिनांक 02.01.2026**

चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना (टीआरसी संख्या 3154/2022, शीर्षक:यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मयंक सिंघल और अन्य में माननीय वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पारित आदेश के अनुसार)

यह सार्वजनिक नीलामी सूचना आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(कों) और गारंटर(रों) को अधोहस्ताक्षरी न्यायालय आयुक्त द्वारा दी जाती है, जिसे माननीय वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली द्वारा टीआरसी/3154/2025 मामले में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मयंक सिंघल में दिनांक 18.12.2025 को पारित आदेश द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया है, ताकि वर्णित चल संपत्तियों या घरेलू सामानों को सार्वजनिक नीलामी में साइट पर बेचा जा सके,नीचे उल्लिखित संपत्तियां, जो सीएच बैंक के भौतिक कब्जे में हैं,की सार्वजनिक नीलामी 22.01.2026 को निर्धारित की जाएगी। यह नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है वैसा ही'' और ''जो कुछ भी उपलब्ध है'' के आधार पर, नीचे उल्लिखित ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) से उक्त आरसी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली के लिए की जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि भी नीचे उल्लिखित हैं:

आरक्षित मूल्य: रु.50,000/– और ईएमडी राशि: रु.5,000/– नीलामी की तिथि: 22.01.2026 नीलामी का समय:दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक (आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है)	नीलामी स्थल: प्लॉट संख्या 139, सचिन आटा चक्की के पास, ग्राम मोर्टा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद– 201009 संपर्क करें: हेमराज एडवोकेट/कोर्ट कमिश्नर–9873034348 श्री लक्ष्या खत्री, मुख्य प्रबंधक (9982000301)	
ऋणकर्ता और गारंटर/गारंटरों के नाम: (i) श्री मयंक सिंघल, पुत्र श्री दिनेश कुमार सिंघल, (ii) श्री शशि सिंघल, पुत्र श्री दिनेश कुमार सिंघल, (iii) श्री दिनेश कुमार सिंघल, पुत्र स्वर्गीय श्री ओ.पी. सिंघल (सभी i से iii)मकान संख्या 1–4091, गौर सिटी, इंदिरापुरम, उत्तर प्रदेश – 201014 के निवासी हैं, श्री रवीश वत्स,पुत्र श्री राम सिंह, मकान संख्या डी–18, सेक्टर–7, नोएडा प्राधिकरण के पीछे, नोएडा, उत्तर प्रदेश के निवासी।	टीआरसी संख्या 3154/2022 माननीय वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–1,दिल्ली नाम: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मयंक सिंघल और अन्य	देय राशि : उक्त आरसी के अनुसार रु. 2,15,44,013/–
	वस्तुओं का विवरण: निम्नलिखित वस्तुएं/सामान प्लॉट संख्या 139,सचिन आटा चक्की के पास, ग्राम मोर्टा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद–201009 में स्थित हैं, जो गिरवी रखी संपत्ति पर भौतिक कब्जा लेते समय गिरवी रखी संपत्ति से बरामद की गई हैं। इनका विवरण और मूल्यांकन दिनांक 08.11.2025 के मूल्यांकन के अनुसार है: 1. कार्यालय कुर्सियां घ्(दो), 2. कार्यालय मेज (एक), 3. सोफा सेट (चार सीटों वाला) (एक), 4. सैमसंग ओवन (एक), 5. एक डाइनिंग टेबल और 5 कुर्सियां, 6. एलईडी एलजी (छोटे आकार का), 7. चमड़े की सीट वाला सोफ